2021/14

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

**प्रार्थी / अपीलांट** — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री मोहनलाल देशप्रेमी पुत्र श्री त्रिवेणीकांत
जाति राजपुरोहित
निवासी पाड़ीव
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 04 वर्ष 2021

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.01.2021 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 11.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सन् 2005 के पंचायतीराज चुनावों में ग्राम पंचायत पाड़ीव में वार्ड संख्या 9 से उम्मीदवार श्री देशाराम पुत्र देवाराम, सन् 2010 एवं 2020 में ग्राम पंचायत पाड़ीव से सरपंच पद उम्मीदवार श्री देशाराम पुत्र देवाराम द्वारा नाम निर्देशन पत्र की प्रमाणित पत्रावली की छायाप्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं ।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 11.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सन् 2005 के पंचायतीराज चुनावों में ग्राम पंचायत पाड़ीव में वार्ड संख्या 9 से उम्मीदवार श्री देशाराम पुत्र देवाराम, सन् 2010 एवं 2020 में ग्राम पंचायत पाड़ीव से सरपंच पद उम्मीदवार श्री देशाराम पुत्र देवाराम द्वारा नाम निर्देशन पत्र की प्रमाणित पत्रावली की छायाप्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। सूचना उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही से सम्बन्धित होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 965 दिनांक 02.12.2020 को उपखण्ड़ अधिकारी सिरोही को लिखा गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो [illegible] आदेश [illegible] अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal<br>Date: 2021.05.12 16:39:19 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(भगवती प्रसाद)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |

Scanned with CamScanner